राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 4152/2022

राजेश कुमारी –अपीलार्थी

बनाम

1. शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुंझुनू, जिला झुंझुनू।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 06.09.2022
आदेश की दिनांक : 11.11.2022

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री एस.के. सिंगोदिया, अभिभाषक

समक्ष :– मातादीन शर्मा, सदस्य
एम.एस.काला, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित आधारों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बडाउ, झुंझुनूं में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 03.09.2022 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से उपकेन्द्र आंटिया, बाडमेर किया गया है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का आगे तर्क है कि अपीलार्थी न तो अधिशेष है न ही एपीओ है लेकिन बिना मस्तिष्क के प्रयोग के अपीलार्थी का स्थानान्तरण कर दिया गया। अपीलार्थी का पति भारतीय सेना में है जो जम्मू कश्मीर के सुदूर क्षेत्र में कार्यरत है। अपीलार्थी की सास काफी वृद्ध है, जिसकी देखभाल की जिम्मेदारी अपीलार्थी की है (अनुलग्नक–2)। अपीलार्थी वर्तमान पदस्थापन स्थान पर अधिशेष नहीं है। जबकि बाडमेर में 12 वर्ष से अधिक की सेवा पूरी करने के बाद अपीलार्थी को सीएचसी बडाउ, झुंझुनूं में तकनीकि सहायक के पद के विरूद्ध आदेश दिनांक 18.06.2021 (अनुलग्नक–3) के द्वारा स्थानान्तरित कर दिया गया था। तकनीकि सहायक का पद सीएचसी बडौ, जिला झुंझुनू में स्वीकृत पद है और अपीलार्थी उक्त पद के विरूद्ध कार्य कर रहा है।

इसलिए वह अधिशेष नहीं है। अपीलार्थी को यात्रा भत्ता एवं योगकाल भी देय नहीं किया गया है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आलोच्य आदेश दिनांक 03.09.2022 (अनुलग्नक–1) को अपास्त किया जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जावे कि अपीलार्थी को निरंतर महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बडाउ, झुंझुनूं में कार्य करने दिया जावे।

हमने अपीलार्थी एवं के विद्वान् अधिवक्ता को अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि अपीलार्थी द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 03.09.2022 (अनुलग्नक–1) के विरूद्ध अनुतोष चाहा है। अपीलार्थी का पद ए.एन.एम. है तथा पत्रावली में उपलब्ध विभागीय आदेश दिनांक 18.06.2021 (अनुलग्नक–3) द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण तकनीकि सहायक के रिक्त पद के विरूद्ध किया गया है जो स्वयं ही प्रमाणित रहता है कि अपीलार्थी मूलतः ही ए.एन.एम. के रिक्त पर पद पदस्थापित नहीं है। अतः अपीलार्थी की स्थिति स्वमेव ही अधिशेष की हो जाती है। अतः आलोच्य आदेश में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि अथवा दोष परिलक्षित नहीं होता है। अतः अपील अपीलार्थी सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज योग्य होने के कारण एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

आदेश आज दिनांक.............................को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

(एम. एस. काला)
सदस्य

(मातादीन शर्मा)
सदस्य